



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1861/2026

महाकौरयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुनीश रघुवंशी, प्रमोद कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2-उप-जिलाधिकारी, धौलाना, जिला हापुड़ के समक्ष दिनांक 13.10.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 के तहत एक शपथ-पत्र समर्थित आवेदन दायर किया गया था।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आज तक वाद संख्या भी आवंटित नहीं की गई है।
3. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना किसी अतिरिक्त विलंब के उपरोक्त मामले में नियमित संख्या आवंटित करें और उसके पश्चात, यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो कानून के अनुसार कड़ाई से और शीघ्रता से इसे तय करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"